

## धर्मनिरपेक्षता

### 1. संदर्भ

- धर्मनिरपेक्षता का साधारित अर्थ है: धर्म से अलग
- तकनीत और वैज्ञानिक सोच
- विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला
- जीवन के सामाजिक-जागरीकृतिक और आर्थिक पहलुओं से धर्म को अलग करना
- धर्म से राज्य का विचरण
- सभी धर्मों की पूर्ण लूट्रिया और सहिष्णुता
- सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए समान अवसर
- धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पश्चात नहीं

### 2. भारत के इतिहास में धर्मनिरपेक्षता

- ब्रेट और उपनिषद धर्मिक बहुतता पर प्रकाश डालते हैं
- सप्तांश अगोक- राज्य किसी भी धार्मिक संप्रकाश का अनुसरण नहीं करता
- सुधी और भक्ति आदोलन ने विभिन्न समूहों के लोगों को आपात में जोड़ा, इनमें खाड़ा गोदानुदीन विश्व, वाचा फौटौं, कवरी, गुरु जनक देव आदि का प्रमुख योगदान रहा।
- मन्त्रकालीन भारत- अकबर ने बल्लूर्वक धर्मतिरंग को रोक दिया और जाजिया कर को समाप्त कर दिया
  - 'बन-ए-इहानी' में दिन्दू और मुस्लिम लोगों धर्मों के तात्त्व थे
  - 'सुल-ए-कुल' को अवधारणा या धर्मों के बीच शांति और सद्व्यवह
  - 'इवादरत्याना' या तुजा का कक्ष
- गांग निकोह ने टिंडू दर्शन का अवध्यन किया और विभिन्न धर्मों के मध्य साझा आधार खोजने का प्रयत्न किया
- आषुविक भारत- अंग्रेजों ने 'फूट ढालो और गज करो' की नीति अपनाई
  - 1905 में विदितों ने बगाल का विभाजन किया
  - 1919 के भारतीय परिवर्त अधिनियम ने अलग निर्वाचक मंडल का विभाजन किया
  - भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने इस प्रवधान को अन्य समूहों के लिये बद्दा दिया
  - 1932 का रैमें मैक्सेन्हॉल साप्रतिवेदन युक्तकर जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रतिनिधित्व का आधार बना
- भारतीय स्वतंत्रता आदोलन के दौरान धर्मनिरपेक्षता को मतवृत्त किया गया था
  - उत्तरवाली नेताओं ने राजनीति में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया
  - 1928 की ऐतिहासिक नेहरू समीति में धर्मनिरपेक्षता पर कई प्रवधान थे
  - गांधीजी की धर्मनिरपेक्षता- भाईचारा, समाज और सत्याग्रह का अनुसरण
  - नेहरू की धर्मनिरपेक्षता- वैज्ञानिक मानवतावाद के लिये प्रतिबद्धता

### 3. भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दर्शन

- परिचयी समाज- 'धर्मनिरपेक्ष' (धर्म के प्रति राज्य की उदासीनता)
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता- 'सर्व धर्म समान' (सभी धर्मों का समान समान)
- विवेकानन्द और महात्मा गांधी- 'सर्वात्मक धर्मनिरपेक्षता'
- भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है
- सभी धर्मों के अन्ये अलग- व्यक्तिगत कानून हैं

### 4. धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान

- संविधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है
- 'संवद्युत' शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रसारिता में जोड़ा गया था
- अनुच्छेद 14, कानून के साथ समाज और सभी को कानूनों की समान सुकृत प्रदान करता है
- अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर भेदभाव पर सोक लाता है
- अनुच्छेद 16 (1), सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है
- अनुच्छेद 25- 'अंतःकरण की और धर्म को आधार पर से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 26- धर्मिक और धर्मात्मक उद्देश्यों के लिये संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार
- अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष माने या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिये किसी प्रकार का कार्रवाने के लिये बात्य नहीं करेगा
- अनुच्छेद 28, धर्मिक संस्थानों की धार्मिक रिश्ता प्राप्त करने की अनुमति देता है
- अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को सास्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं
- अनुच्छेद 51A, सभी नागरिकों को स्वतंत्र और सामाजिक आईचारे को बदला देने का प्रावधान करता है

### 5. धर्मनिरपेक्षता का भारतीय बनाना पारिवर्मी मॉडल

- परिवर्मी मॉडल में 'राज्य' और 'धर्म' एक-दूसरे से पूँछ-पूँछे: अलग हैं
- भारत में राज्य और धर्म दोनों एक-दूसरे के मामलों में बाहिरीत और स्वतंत्रता के सकारात्मक
- परिवर्मी मॉडल में राज्य धर्मिक समूहों द्वारा सचालित शैरीषिक संव्याप्तों को कोई विशेष सहायता नहीं दे सकता है
- भारतीय मॉडल ने एक समकारात्मक तरीका चुना है जहाँ धर्मिक अल्पसंख्यकों को राज्य हो सकती है
- परिवर्मी मॉडल में राज्य धर्म के मामलों में तात्काल हस्तांत्रिक नहीं करता है जब तक कि धर्म का उल्लंघन न करे
- भारतीय परिवर्मिक उद्देश्यों में राज्य सामाजिक बुद्धियों जैसे- सीमा प्रश्न, रहने, तीन तात्काल आदि को दूर करने के लिये धर्म में हस्तांत्रिक कर सकते हैं।
- परिवर्मी मॉडल किसी भी सार्वजनिक नहीं है
- भारत में राज्य की धार्मिक उद्देश्य विभागों की स्थापना की नीति है और इन बोडी के न्यासी नियुक्त करना भी इसमें शामिल है

### 6. धर्मनिरपेक्षता को खतरा

- धर्म का सञ्जीवनिकरण
  - विभाजनात्मक वैचारिक प्रवाद
  - धर्मिक समूहों का प्रतिसंदर्भी गारंजीतिकरण
  - सामाजिक और धार्मिक कठुरवाद
  - साप्रतांत्रिक दर्शन
- हिन्दू राष्ट्रवाद का उद्देश- गो-हत्या और गो-मास का सेवन करने के मुद्रे पर भीड़ हिंसा, 'लव जिहाद' के विशुद्ध आंदोलन, पुनर्विचार या धर्म-व्यापी जैसी विचारधारा
- इस्लामिक कठुरवाद या पुनर्जातनवाद: ISIS जैसे आंदोलनों में मुस्लिम युवाओं का शामिल होना

### 7. आगे का राह

- जैन धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल दौर्चंह का हिस्सा माना गया है। अतः यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इसका सारेक्षण सुनिश्चित करें।
- धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अल्पसंख्यकों को मान्यता देने और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने पर आधारित है।
- जल: अल्पसंख्यकों के कर्तव्य के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये और इसे धर्मनिरपेक्षता के चरमे से नहीं देखा जाना चाहिये।
- साथ ही धर्मनिरपेक्षता को सार्वजनिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिये एक आयोग का गठन किया जाना चाहिये।
- जीवन तात्काल अन्य देने की ज़रूरत है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म के विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और निजी मामला होने की उम्मीद की जाती है। अनप्रतिनिधियों को इसका खाल रखना चाहिये।